कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 891 / 2020 / 10–11 / 4486 भोपाल, दिनांक 10-10-23

प्रेषक :–

एच.एस. मोहन्ता (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

वन महानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली–110003

विषयः– सिवनी जिले के अन्तर्गत पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी के बफर क्षेत्र में विद्यमान वनग्राम कर्माझिरी को विस्थापित किए जाने हेतु 160.00 हेक्टेयर वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्ताव।

संदर्भः–आपका पत्र क्रमांक / 8-13/2020-FC दिनांक 10.01.2023

––0––

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार हैः–

क्र.	शर्ते	पालन प्रतिवेदन
A.	Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department and compliance is to be submitted prior to Stage-ll approval :-	
i.	The State Govt. shall submit the documentary evidence/ certificate indicating the extent of Nistar/community rights;	इस शर्त के पालन में क्षेत्र संचालक, पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी द्वारा लेख किया है कि कर्माझिरी वन ग्राम का कुल वन क्षेत्र 323.800 हेक्टेयर है। इस क्षेत्र पर कर्माझिरी के ग्रामीणों का व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकार है। एक बार जब नए पुनर्वास स्थल उन्हें सौंप दिए जायेंगे तो उन्हें नई भूमि पर नए अधिकार प्राप्त हो जाऐंगे और कर्माझिरी वनक्षेत्र पर अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जायेंगे।
ii.	The District Collector concerned shall furnish a certificate of non-availability of suitable non-forest land for relocation of Village Karmajhiri;	इस शर्त के पालन में क्षेत्र संचालक, पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी द्वारा अवगत कराया है कि गैर वनभूमि विस्थापन के लिए उपलब्ध नहीं है। अपर कलेक्टर सिवनी का पत्र दिनांक 23.11.2016 परिशिष्ट–1 में संलग्न है।

-2-

iii.	The State Government shall submit the certificate of compliance under FRA, in both the areas i.e. the area being vacated and the area where the people will be relocated;	कलेक्टर सिवनी का वन अधिकार अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र दिनांक 29.01.2021 परिशिष्ट–2 में संलग्न है एवं वनग्राम कर्माझिरी में वन अधिकार पत्र हेतु समस्त आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है। इस संबंध में क्षेत्र संचालक, पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी का प्रमाण पत्र परिशिष्ट–3 में संलग्न है।
iv.	The correct and complete KML file of the area proposed for diversion shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details;	व्यपवर्तित होने वाली वनक्षेत्र की KML file ई–ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड की गई है, जिसका ID No. 53247 है।
v.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	इस शर्त के पालन में आवेदक संस्था द्वारा पालन प्रतिवेदन पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।

B. Conditions which need to be complied on field after handing over of forest land to the user agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted and compliance is to be submitted prior to Stage-ll approval :-

i.	Legal status of the diverted forest land may be changed to non-forest land by the State in accordance with Hon'ble Supreme Court order dated 28.01.2019 in IA No. 3924 of 2015 in WP(C) 202/1995 and Ministry's Guidelines dated 20.05.2019;	इस शर्त के पालन में आवेदक संस्थान ने लेख किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डब्लू.पी.(सी.) 202/95 में पारित आदेश दिनांक 28.01.2019 को आई.ए.नं. 3924 और मंत्रालय के दिशा–निर्देश दिनांक 20.05.2019 के अनुसार प्रत्यावर्तित होने वाली वनभूमि को गैर वनभूमि में बदला जावेगा।
ii.	The State Government shall ensure that the area under the Karmajhiri Village becomes inviolate and no families are left within this village for further relocation. The area to be made available as inviolate on account of relocation of village Karmajhiri will be used for Wildlife conservation;	इस शर्त के पालन में आवेदक संस्थान ने लेख किया है कि वनग्राम कर्माझिरी के समस्त ग्रामीणों का पूर्ण रूप से विस्थापन किया जावेगा। ग्राम विस्थापन उपरांत रिक्त वनक्षेत्र इनवेलेट के रूप में रहेगा। विस्थापन उपरांत कोई भी व्यक्ति वहाँ पर शेष/निवासरत नही रहेगा। वनग्राम कर्माझिरी के विस्थापन उपरांत रिक्त वनक्षेत्र 223.800 हेक्ट. वनभूमि को टाइगर कंजर्वेशन प्लान के प्रावधानों के अनुसार वन्यप्राणी रहवास क्षेत्र के रूप में तैयार किया जावेगा।
iii.	The State Government shall take effective steps to ensure that the villagers who are relocated do not return to the area;	आवेदक संस्थान सहमत है।

-3-

iv.	The Forest Department should encourage rehabilitated families in relocated forest area for improvement of their livelihood based on tree/ forest based economic opportunities by providing appropriate training and imparting skillsets in ecotourism, Bamboo and Medicinal plants and other NTFPs through sustainable collection, processing, value addition and marketing etc. to help in conservation of forest area around rehabilitation;	आवेदक संस्थान सहमत है।
v.	The area to be vacated shall be mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF under relevant sections of the Indian Forest Act, 1927, or the State Forest Act as the case may be;	वनग्राम कर्माझिरी के विस्थापन उपरांत रिक्त क्षेत्र पूर्व से ही Central Provinces Gazette में जारी अधिसूचना क्रमांक/917 दिनांक 24.02.1879 से भारतीय वन अधिनियम 1878 की धारा 34 के तहत आरक्षित वन के रूप में घोषित है। वनग्राम कर्माझिरी का क्षेत्रफल 323.800 ब्लॉक में शामिल है। पेंच टाइगर रिजर्व बफर जोन की कार्य आयोजना के परिशिष्ट XXVIII पेंज कमांक 225 पर वनग्राम अंकित है साथ ही यह रिक्त क्षेत्र वनग्राम का क्षेत्र होने से एवं उक्त अधिसूचना में अधिसूचित होने से पुनः नोटिफिकेशन की आवश्यकता नही है, परिशिष्ट–4 में संलग्न है।
vi.	The State Government shall ensure that the land vacated in the protected area due to relocation of Village will be developed as per approved Wildlife Management Plan/NTCA Guidelines;	आवेदक संस्थान सहमत है।
vii.	The State Government shall ensure that the relocation package is implemented with due regard to specific court orders and Government norms in this regard;	आवेदक संस्थान सहमत है।
viii.	The State Government shall ensure that no fragmentation of forests should take place due to the relocation project;	आवेदक संस्थान सहमत है।

-4-

ix.	The State Govt. shall ensure that the details of relocation shall be provided to the NTCA for onward legal action/compliance in IA No. 3924 of 2015 in WP(C) 202/1995;	आवेदक संस्थान सहमत है।
x.	The State Govt. shall ensure that as far as possible naturally growing trees are retained along the roads, in the school, other Government / public utility complexes around the boundaries of the proposed village, as natural groves;	आवेदक संस्थान सहमत है।
xi.	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under the supervision of the State Forest Department;	आवेदक संस्थान सहमत है कि व्यपवर्तित वनभूमि में खड़े फलदार वृक्षों को नहीं काटा जावेगा तथा आवश्यकतानुसार ही कृषि क्षेत्र में वृक्ष का पातन किया जावेगा। व्यपवर्तित वनभूमि में खड़े वृक्षों के पातन का कार्य दक्षिण सिवनी सामान्य वनमंडल वन विभाग द्वारा किया जाता है।
xii.	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;	आवेदक संस्थान सहमत है।
xiii.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;	आवेदक संस्थान सहमत है।
xiv.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer;	आवेदक संस्थान सहमत है।
xv.	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused;	आवेदक संस्थान सहमत है।
xvi.	The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year;	आवेदक संस्थान सहमत है।
xvii.	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate with the approval of competent authority in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	आवेदक संस्थान सहमत है।

-5-

xviii.	The user agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, ifany, for the time being in force, as applicable to the project;	आवेदक संस्थान सहमत है।
xix.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of comprehensive guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated 28.03.2019	आवेदक संस्थान सहमत है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

10.10.23

(एच.एस. मोहन्ता)

पृ. क्रमांक / एफ—5 / 891 / 2020 / 10—11 / 4487 भोपाल, दिनांक 10-10-23

प्रतिलिपिः—

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), सिवनी वृत्त, सिवनी, मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्र संचालक, पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी, मध्यप्रदेश।
3. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, दक्षिण सिवनी, मध्यप्रदेश।
4. उप संचालक, पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

10.10.23

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

FCA Projects, Diverted Land, CA Land Management

INFORMATION

SUCCESS: The FCA project has been Registered sucessfully. You can now edit the project details and lock for ID:53247

Project Name : **Relocation of forest village Karmajhiri.** Year : **2023**

- To Register a new FCA Project, please click here [Register a New FCA Project]
- To Edit details of Existing FCA Project, Please click here [Edit the Existing FCA Project Details]
- To Lock the Details of FCA Project, Please click here [Lock FCA Projects]
- [Add CA Land / Site Details to the Project] Please click here to add the CA Site/Land Details to the Project.